

दस रुपिया कडु रೂකැණ් දස රුපිය වැනි මුදල වැරුප්පු කලා ලකුණ දස රුපිය

भारतीय पोस्टल आर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

RAY TO सहायक महाप्रबन्धक (पोस्टिंग  
विभाग) 765-K-V. एकल परिपत्र  
अपपुर त्रिवाणी (पोस्टिंग शाखा-नया)  
दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।  
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

AT THE POST OFFICE AT

जवाना राम उर्फ जवाना 16387  
कोट रामगंज गांव कुशाभवा  
पोस्टागारा गा. जफिया  
303001

के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

46F 963616

NEGOTIABLE  
रने वाले  
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE  
डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

पुस्तक कार्यालय  
दस रुपिया

## सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

669  
29/01/21

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (1))

प्रेषित

लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी

कार्यालय :- सहायक महाप्रबंधक (पोरषण निर्माण) - 765 के. वी.  
एकल परिपथ, जयपुर-त्रिवानी पोरषण (पार्टन) (सर्किल)

(1) आवेदक का पूरा नाम

जवाना राम उर्फ जवाना सिंह 810 छोड़ राम जाट

(2) पता :-

ग्राम कुशालिया पो. नूना वा. जाधेला 303301

(3) चाही गई सूचना की विशिष्टिया :-

विभाग कार्यालय का नाम, जिससे सूचना सम्बन्धित है पावर गिड कर पोरेषन

आर्कैड लिमिटेड

सूचना की प्रकृति सूचना के अधिकार 2005 के तहत

सूचना की अवधि अगस्त 2015

चाही गई सूचना का विवरण 765 के. वी. सिंगल सर्किल जयपुर-त्रिवानी पोरषण

सर्किल (सर्किल-11. पार्त-1, N.R. SS:XXV के अन्तर्गत) के माध्यम से पढ़ने

को. व. पो. का पोरषण कार्यालय, जयपुर-219 दिनांक 21/01/2015

(4) क्या फीस देने का सबूत संलग्न कर दिया है ?

1. आवेदन शुल्क रूपये

पोस्टल आर्डर 10/- रुपये

डीडी/बैंक्स चैक न.

नं० 46F 963616

बैंक का नाम

2. रिकार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क

3. फोटो प्रति शुल्क

(5) यदि आवेदक बीपीएल परिवार से है तो दस रूपये की फीस देय नहीं है।

बीपीएल क्रमांक संख्या 7.1

स्थान : कुशालिया

दिनांक : 27/1/21

जवाना राम

आवेदक के हस्ताक्षर

950 9317466



पावरग्रिड

# पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

( भारत सरकार का उद्यम )

उत्तरी क्षेत्र प्रथम, बी -4/184, चित्रकूट स्कीम,  
वैशाली नगर, जयपुर - 302021

फार्म सं. 218

पत्रांक सं. :- एन-1/765 के.वी. जयपुर-भिवानी II /पिड़

दिनांक 21.08.15

विषय :- 765 के. वी. सिंगल सर्किट जयपुर - भिवानी पारिषण लाईन (सर्किट - II, Part-I, N.R.S.S-XXV के अर्न्तगत ) के मार्ग में पडने वाले वृक्षों के समबन्ध में ।

महोदय,  
श्री Jawan Singh पुत्र श्री Chhotu Ram जाति Jal  
ग्राम ... डाकघर ... पिनकोड 303701 तहसील ... जिला ...

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (भारत सरकार का उद्यम) 765 के.वी. एकल परिषण जयपुर-भिवानी लाईन का निर्माण कर रहा है। विद्युत सुरक्षा नियमों के अधीन एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि लाईन के दोनों तरफ मध्य से 42.5 मीटर तक की दूरी के निशानयुक्त वृक्ष जिनका विवरण नीचे दिया गया है काट लिये जाए। इसके लिए विभाग को इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाइ) एक्ट -1948 की धारा 42 के साथ परित इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग-3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करने को प्रावधानित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर तथा अनुमति प्राप्त कर वृक्षों को काट लें अन्यथा उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात इस विभाग द्वारा काट दिये जायेंगे। ऐसी दश में लकड़ी की शक्ति या अन्य प्रकार की शक्ति के लिये विभाग कदापि उत्तरदायी नहीं होगा। वृक्षों का मुआवजा तहसीलदार/सम्बन्धित राजकीय विभाग द्वारा निश्चित तथा स्थापित एवं वृक्षों के पातन के बाद पावरग्रिड के द्वारा देय होगा।

## वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	लोकेशन नं.	वृक्ष का नाम /प्रजाति	संख्या	वृक्ष की माप (मी.) (सीने की ऊँचाई पर)		वृक्ष की अनु. आयु	खसरा नं./ मौजा	अन्य विवरण
				मोटाई	ऊँचाई			
	54/100	बकना	05	04=0.60	5m		146	
		खैर	01	01=1.20	7m		...	

6/11/2015  
27/12/15

कृते पावरग्रिड, जयपुर प्रतिष्ठिति :

नोटिस प्राप्त किया :  
(नाम सहित हस्ताक्षर)  
0352332548

1. तहसीलदार जिला आपका यह पत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि वृक्षों का उचित मुआवजा बनाकर एवं स्वामित्व प्रमाणित कर, इस कार्यालय को प्रेषित करें जिससे वृक्षों का मुआवजा दिया जा सके।
2. उप जिला अधिकारी कृपया दिये गये विवरण के अनुसार उपरोक्त वृक्ष मालिकों को भारत सरकार के उद्यम के हित को ध्यान में रखते हुए वृक्षों को काटने की अनुमति दें। यदि उक्त वृक्ष मालिक निश्चित अवधि में विधिक कार्यवाही सम्पन्न कर अनुमति नहीं प्राप्त कर पाता है तो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट के अधीन तथा सुरक्षा अधिनियमों को ध्यान में रखकर अधोहस्ताक्षरी को उल्लिखित वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान करे ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम कार्यवाही स्वयं के स्तर से पूर्ण की जा सके।

### तहसील कार्य हेतु

सहायक महाप्रबंधक (पावरग्रिड)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ... पुत्र श्री ... निवासी ग्राम ...  
पोस्ट ... तह ... जिला ... वृक्षों की संख्या प्रजाति सहित ...  
पर वृक्षों का मुआवजा रूपया ... राशियों ... है। रिपोर्ट सेवा हेतु अवसरित है।

हस्ताक्षर पटवारी (मुहर सहित)

हस्ताक्षर तहसीलदार (मुहर सहित)

